NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-03-2026

विषय सूची

सवेतन मासिक धर्म अवकाश महिलाओं के करियर को हानि पहुँचा सकता है: सर्वोच्च न्यायालय

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

भारत के सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन

भू-आकृति विज्ञान और भारत का वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास

समुद्री नाविकों का परित्याग(Seafarers Abandonment)

संक्षिप्त समाचार

खार्ग द्वीप

मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदें

स्वामिह (SWAMIH)

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: वैश्विक साझेदारी की शक्ति का प्रतिबिंब

KC-135 स्ट्रैटो टैंकर

वैश्विक महामारी समझौता

वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु केंद्र द्वारा ₹57,381 करोड़ राशि पृथक निर्धारित

सवेतन मासिक धर्म अवकाश महिलाओं के करियर को हानि पहुँचा सकता है: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने आशंका व्यक्त की कि मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश को अनिवार्य बनाने वाला कानून युवा महिलाओं के करियर को हानि पहुँचा सकता है और उन्हें समान अवसरों से वंचित कर सकता है।

मासिक धर्म अवकाश क्या है?

- मासिक धर्म अवकाश से आशय उस सवेतन या अवैतनिक अवकाश से है जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समय दिया जाता है, जैसे:
  - **डिस्मेनोरिया (Dysmenorrhea):** तीव्र मासिक धर्म पीड़ा
  - **एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis):** ऐसी स्थिति जिसमें गर्भाशय की परत जैसी ऊतक गर्भाशय के बाहर विकसित हो जाती है

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मुख्य विशेषताएँ

- ऐसा कदम महिलाओं में यह मानसिक बाधा उत्पन्न कर सकता है कि वे पुरुषों से कमतर हैं क्योंकि वे मासिक धर्म के दौरान कार्य नहीं कर सकतीं।
- मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी रूप से लागू होने वाले वैधानिक अधिकार और नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं के प्रति स्वेच्छा से अपनाई गई नीतियों के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- न्यायालय ने इस संबंध में ओडिशा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों की "स्वैच्छिक" पहल का स्वागत किया, जहाँ राज्य संचालित विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म पीड़ा के लिए वार्षिक 60 दिनों तक का अवकाश दिया जाता है।

सवेतन मासिक धर्म अवकाश के पक्ष में तर्क

- **लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थलों को बढ़ावा:** महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं को स्वीकार करता है और कार्यस्थल पर समावेशिता एवं सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है।
  - यह नीतियाँ लैंगिक-उत्तरदायी श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाती हैं।
- **संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का समर्थन करता है, जो राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
  - यह *व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020* के प्रावधानों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है।
- **उत्पादकता और कल्याण में सुधार:** पीड़ा या असुविधा के समय विश्राम की सुविधा मिलने से प्रदर्शन और मनोबल बेहतर होता है।
- **स्वास्थ्य और मानवाधिकार दृष्टिकोण:** महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार को सुदृढ़ करता है।
- **मासिक धर्म का कलंक-निवारण:** कार्यस्थल नीति में मासिक धर्म स्वास्थ्य को मान्यता देना सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक है।
- **वैश्विक सामंजस्य:** जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और स्पेन जैसे देशों में समान नीतियाँ लागू हैं।

विरोध में तर्क

- **कार्यस्थल भेदभाव का जोखिम:** नियोक्ता महिलाओं को कम उत्पादक या अधिक खर्चीला मानकर नियुक्ति या पदोन्नति से बच सकते हैं।
  - यह अनजाने में लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के बजाय उसे सुदृढ़ कर सकता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत की लगभग 88% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहाँ औपचारिक अवकाश नीतियाँ प्रायः अनुपस्थित हैं।
- **निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन चुनौतियाँ:** विविध उद्योगों में अनुपालन और निगरानी कठिन हो सकती है।
- **अपर्याप्त दायरा और असमानता:** प्रति माह एक दिन का अवकाश गंभीर मासिक धर्म विकारों से पीड़ित महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

- **राष्ट्रीय ढाँचे का अभाव:** राज्यों और क्षेत्रों में नीति असंगति उत्पन्न हो सकती है।
- **नियोक्ताओं की वर्तमान जिम्मेदारियाँ:** मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और कुछ संस्थानों में क्रेच सुविधा जैसी जिम्मेदारियाँ पहले से ही मौजूद हैं।

भारत में वर्तमान मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ

- भारत में मासिक धर्म अवकाश पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने नीतियाँ लागू की हैं।
  - बिहार प्रथम राज्य था जिसने 1992 में सरकारी कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू किया।
  - कुछ कंपनियाँ जैसे **ज़ोमैटो और स्विगी** ने स्वैच्छिक मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ अपनाई हैं।

आगे की राह

- महिलाएँ कार्यस्थलों और नेतृत्व भूमिकाओं में समानता के लिए प्रयासरत हैं, और मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान उनके विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है।
- मासिक धर्म अनुभवों की विविध प्रकृति को स्वीकार करना आवश्यक है।
  - कुछ विशेषज्ञ निश्चित अवकाश दिनों के बजाय लचीले कार्य घंटे, घर से कार्य करने के विकल्प या कार्यस्थलों पर बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं का समर्थन करते हैं।
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग और समायोजन समावेशिता को बढ़ावा देता है, साथ ही कठिन मासिक धर्म चक्र से गुजर रही महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को भी संबोधित करता है।

स्रोत: TH

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

संदर्भ

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक**, 2026 को लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:** यह "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की परिभाषा को सीमित करने का प्रस्ताव करता है तथा स्पष्ट करता है कि विभिन्न यौन अभिविन्यास या स्व-अनुभूत यौन पहचान रखने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा।
- **लैंगिक पहचान की मान्यता में परिवर्तन:** जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जाँच करने के बाद पहचान प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
- **विधेयक 2019 के अधिनियम की धारा 4(2)** को भी हटाता है, जो वर्तमान में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देता है।
- **लैंगिक पुनर्निर्धारण शल्य-चिकित्सा के बाद की प्रक्रिया में परिवर्तन:** जिस चिकित्सा संस्थान में कोई व्यक्ति लैंगिक पुनर्निर्धारण शल्य-चिकित्सा कराता है, उसे उस व्यक्ति का विवरण जिला मजिस्ट्रेट और नामित प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।
- **राष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन:** राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों से घूर्णन (रोटेशन) के आधार पर नामित किया जाएगा।
  - ऐसे प्रतिनिधि संबंधित मंत्रालय या विभाग में निदेशक से कम पद के नहीं होंगे।
- **जबरन परिवर्तन एवं शोषण से संबंधित नए दंडात्मक प्रावधान:** ऐसे अपराधों में दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का कठोर कारावास और न्यूनतम ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - यदि मामला बच्चों से संबंधित है, तो दंड आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है तथा न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

- यह विधेयक किसी व्यक्ति या बच्चे को जबरन ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत करने और उन्हें भीख माँगने में लगाने जैसे अपराधों को भी शामिल करता है।

संशोधनों की आवश्यकता

- यह संशोधन 2019 के अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अस्पष्ट और व्यापक परिभाषाओं के कारण सामने आई हैं।
- एक सटीक परिभाषा आवश्यक है ताकि अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली सुरक्षा उन व्यक्तियों तक पहुँचे जो अत्यधिक सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं, और अपहरण, शारीरिक क्षति तथा किसी को जबरन ट्रांसजेंडर पहचान ग्रहण करने के लिए अनिवार्य करने जैसे गंभीर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

LGBTQIA+

- LGBTQIA+ शब्द एक व्यापक छत्र शब्द है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर, इंटरसेक्स और एसेक्शुअल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तथा '+' उन अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है जो इन अक्षरों में विशेष रूप से शामिल नहीं हैं।
- विशेष रूप से, LGBTQIA+ समुदाय के लोग पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, उनके शारीरिक लक्षण सामान्य पुरुष या महिला द्विआधारी ढाँचे में नहीं आते, तथा उनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न हो सकती है।

LGBTQIA+ अधिकारों पर भारत की स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4.87 लाख व्यक्तियों ने अपने लिंग की श्रेणी में "अन्य" विकल्प को चुना था।
- **अपराधमुक्ति :** नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ(2018) के निर्णय में सहमति से होने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया (भारतीय दंड संहिता की भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त किया गया)।
- **ट्रांसजेंडर अधिकार :** NALSA v. Union of Indiaभारत संघ (2014) के निर्णय में व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी गई।
  - इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर को "तृतीय लिंग" के रूप में मान्यता देते हुए उनके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार
  - अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध
  - अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- **विधायी प्रावधान:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने चुनौतियाँ

- **सामाजिक समस्याएँ:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें परिवार और समुदाय से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा तक पहुँच की कमी:** स्कूलों में बुलिंग, उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा के कारण उच्च ड्रॉपआउट दर देखी जाती है।
- **रोजगार में बाधाएँ:** नियुक्ति और कार्यस्थल पर व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - अवसरों की कमी के कारण कई लोगों को भीख माँगने या यौन कार्य जैसे असुरक्षित एवं शोषणकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश होना पड़ता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं से बहिष्करण:** लैंगिक-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा भेदभाव, तथा सरकारी अस्पतालों में हार्मोनल और शल्य चिकित्सा सेवाओं की अनुपलब्धता।
  - सामाजिक अस्वीकृति और अलगाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी अधिक होती हैं।

- **हिंसा और उत्पीड़न:** सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा की आशंका अधिक रहती है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी:** मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं में इनकी राजनीतिक दृश्यता और प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
    - नीतिनिर्माण में भागीदारी की कमी के कारण उनकी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा पाता।

सरकारी पहल

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, जिसे 2020 में प्रारम्भ किया गया, पहचान प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन और विभिन्न लाभों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- SMILE योजना, जिसे 2022 में शुरू किया गया, आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और आश्रय सहायता प्रदान करता है। यह गरिमा गृह केंद्रों और **आयुष्मान भारत TG प्लस स्वास्थ्य कवरेज के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है।

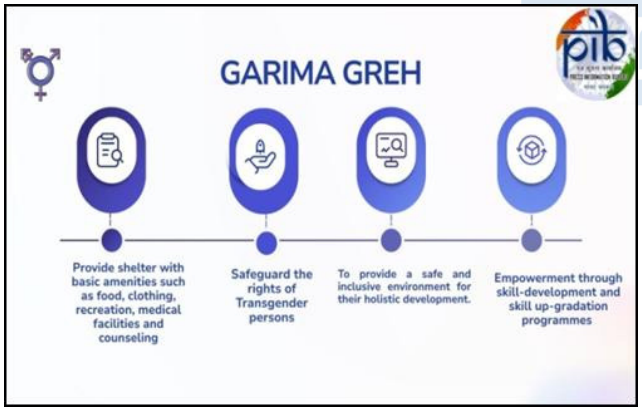

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना है।
    - इस परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)) के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
- **ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय पोर्टल एकीकरण:** जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जिला स्तर पर प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जो अपराधों की निगरानी, समय पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कानूनी सुरक्षा को बेहतर करेंगे।

निष्कर्ष

- हाल के वर्षों में भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार हुए हैं।
- जैसे-जैसे भारत अधिक न्यायसंगत और समावेशी भविष्य की ओर बढ़ रहा है, यह सुनिश्चित करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा, स्वायत्तता तथा अवसरों के साथ जीवन जी सकें, उसके लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार संबंधी दायित्वों का एक केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है।

स्रोत: द हिंदू (The Hindu)

भारत के सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन

संदर्भ

- भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है, जो विकास, उत्पादकता और वैश्विक एकीकरण को आगे बढ़ाने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत का सेवा क्षेत्र प्रदर्शन

- **जीडीपी योगदान:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत की जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 2024 में बढ़कर 49.9% हो गया, जो महामारी-पूर्व औसत से लगभग 1.5 प्रतिशत अंक अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक औसत और अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक है।

- **निर्यात:** वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात सुदृढ़ गति बनाए हुए है, जिसे भारतीय सेवाओं की वैश्विक मांग ने सहारा दिया है।
- अप्रैल–जनवरी 2025-26 की अवधि में सेवा निर्यात का अनुमान 348.4 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- FY23–FY25 के दौरान जीडीपी में सेवाओं के निर्यात का औसत हिस्सा 9.7% रहा, जो महामारी-पूर्व अवधि के 7.4% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
- **रोज़गार:** सेवा क्षेत्र रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। यह कुल रोजगार का लगभग 30% हिस्सा है।
  - विगत छह वर्षों में इस क्षेत्र ने लगभग 4 करोड़ रोजगार जोड़े , विशेषकर कोविड-उपरांत पुनर्प्राप्ति काल में, जिससे यह श्रम बाज़ार का एक महत्वपूर्ण झटका-शोषक सिद्ध हुआ।

सेवा निर्यात के क्षेत्रीय प्रेरक

- भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, FY25 में भारत का सॉफ़्टवेयर सेवा निर्यात 7.3% वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है। कंप्यूटर सेवाएँ सॉफ़्टवेयर निर्यात का दो-तिहाई हिस्सा हैं और बीपीओ सबसे बड़ा आईटीईएस घटक बना हुआ है।
- सॉफ़्टवेयर सेवाएँ कुल सेवा निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा रखती हैं, FY23–FY25 के दौरान 13.5% की दर से बढ़ीं। वहीं, प्रोफ़ेशनल और प्रबंधन परामर्श सेवाएँ 25.9% बढ़ीं और उनका हिस्सा 18.3% तक पहुँच गया।
- ये दोनों मिलकर अब सेवा निर्यात का 65% से अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ज्ञान-आधारित, सीमा-पार सेवाओं में भारत की ताक़त को दर्शाता है।

- भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) का केंद्र बन गया है, जहाँ 1,700 से अधिक केंद्र 19 लाख पेशेवरों को रोजगार देते हैं और FY20–FY25 के दौरान 7% की सीएजीआर से बढ़ रहे हैं।
  - जीसीसी अब उत्पाद विकास, एआई सेवाएँ, साइबर सुरक्षा, विश्लेषण और इंजीनियरिंग जैसी उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों को संभाल रहे हैं।
- भारत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्षमताओं में अग्रणी है। डेटा सेंटर क्षमता 2025 में 1.4 GW से बढ़कर 2030 तक 8 GW होने का अनुमान है।
  - एआई अपनाने, क्लाउड उपयोग और नवाचार (स्टार्ट-अप्स, वेंचर फंडिंग, जनरेटिव एआई पेटेंट) में वृद्धि भारत की स्थिति को डिजिटल सेवाओं के प्रमुख निर्यातक के रूप में और मजबूत करती है।

उठाए गए कदम

- संघीय बजट 2026–27 में आईटी सेवाओं के लिए लक्षित कर सुधार, क्लाउड और डेटा सेंटर हेतु प्रोत्साहन, सरल अनुपालन और व्यापार सुविधा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं ताकि भारत की सेवाओं के व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके।
- मुख्य उपायों में शामिल हैं:
  - **आईटी एवं आईटीईएस:** भारत-आधारित डेटा सेंटर का उपयोग करने वाले विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के लिए कर प्रोत्साहन, 15.5% सुरक्षित मार्जिन, स्वचालित अनुपालन और त्वरित अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते।

- **केयर इकॉनमी:** वैश्विक मांग को पूरा करने हेतु 1.5 लाख बहु-कुशल देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण।
- **आयुष:** तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उन्नत WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र और बेहतर प्रमाणन प्रयोगशालाओं के माध्यम से वैश्विक पहुँच का विस्तार।
- **पर्यटन एवं चिकित्सीय यात्रा:** पाँच मेडिकल टूरिज़्म हब का विकास, 10,000 गाइडों का प्रशिक्षण, 15 पुरातात्विक स्थलों का उन्नयन, नया बौद्ध सर्किट, ट्रेकिंग/हाइकिंग को बढ़ावा और उच्च गति रेल संपर्क के माध्यम से सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक पर्यटन को प्रोत्साहन।

क्षेत्र के सामने चुनौतियाँ

- **रोज़गार संबंधी मुद्दे:** उच्च जीडीपी योगदान के बावजूद विनिर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम रोजगार अवशोषण।
- **कौशल अंतराल:** एआई, साइबर सुरक्षा और ग्रीन फ़ाइनेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में उन्नत डिजिटल और प्रबंधकीय कौशल की कमी।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** आउटसोर्सिंग में फ़िलिपींस और पूर्वी यूरोप जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- **नियामक बाधाएँ:** वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में जटिल अनुपालन आवश्यकताएँ।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** सेवाओं की वृद्धि शहरी केंद्रों (बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम) में केंद्रित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत का सेवा निर्यात सुदृढ़ और सतत वृद्धि दर्शा रहा है, जो देश के बाह्य क्षेत्रीय प्रदर्शन का प्रमुख चालक बन गया है।
- संघीय बजट 2026–27 लक्षित कर सुधारों, डिजिटल अवसंरचना प्रोत्साहनों, कौशल विकास कार्यक्रमों और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपायों के माध्यम से इस वृद्धि को समर्थन देता है।
- दीर्घकालिक वृद्धि बनाए रखने और भारत की वैश्विक सेवा महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कौशल अंतराल, अवसंरचना सीमाएँ एवं नियामक जटिलताओं का समाधान आवश्यक होगा।

स्रोत :PIB

भू-आकृति विज्ञान और भारत का वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास

संदर्भ

- प्रथम राष्ट्रीय भू-आकृति विज्ञान सम्मेलन (GeodCon-26) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री ने *राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022* की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
  - भू-आकृति विज्ञान पृथ्वी के आकार, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और स्थानिक अभिविन्यास को मापने एवं समझने का विज्ञान है।

परिचय

- भारत की *राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022* का उद्देश्य नवाचार, डेटा उपलब्धता और अवसंरचना को बढ़ावा देकर देश को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, LiDAR, GPS और इंटरनेट मैपिंग (जैसे Google Earth) जैसे उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग पृथ्वी की सतह से संबंधित डेटा को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और दृश्य रूप देने के लिए किया जाता है।
- "भू-स्थानिक" शब्द उन आँकड़ों से संबंधित है जो भौगोलिक स्थानों से जुड़े होते हैं, जैसे भू-भाग, अवसंरचना, जनसंख्या, जल निकाय या पर्यावरणीय विशेषताएँ।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का सामरिक महत्व

- **शासन:** शहरी नियोजन, भूमि अभिलेखन (स्वामित्व योजना - SVAMITVA) और स्मार्ट सिटी अवसंरचना हेतु उच्च-सटीकता डेटा उपलब्ध कराता है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** NavIC (भारत का GPS), मिसाइल मार्गदर्शन, सीमा निगरानी और स्वतंत्र भू-आकृति संदर्भ फ्रेम बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण।
- **आर्थिक विकास:** लॉजिस्टिक्स, सटीक कृषि (Agri-tech) और स्वायत्त डिलीवरी स्टार्टअप्स के लिए "सक्षम परत" प्रदान करता है।
- **आपदा लचीलापन:** भूकंप, समुद्र-स्तर वृद्धि और चक्रवात की दिशा का पूर्वानुमान लगाने हेतु भूपर्पटी विकृति की निगरानी में आवश्यक।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** विवर्तनिक प्लेट निगरानी, जलवायु अध्ययन और महासागर तल मानचित्रण में सहायक।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को समर्थन देने वाली सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP) 2022:** डेटा उपलब्धता का लोकतंत्रीकरण, प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग हटाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला ऐतिहासिक सुधार।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन (NGM):** 2025–26 में प्रारंभ, शासन और आर्थिक विकास हेतु आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना एवं डेटासेट विकसित करने का लक्ष्य।
- **ऑपरेशन द्रोणगिरि:** भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के वास्तविक अनुप्रयोगों का पायलट प्रदर्शन, जिसमें अवसंरचना नियोजन और आपदा प्रबंधन शामिल।
- **निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) नेटवर्क:** सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा विकसित, GNSS तकनीक का उपयोग कर उच्च-सटीकता स्थिति सेवाएँ प्रदान करता है।
- **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान (BISAG-N):** शासन और विकास हेतु मानचित्र-आधारित GIS समाधान और उपग्रह अनुप्रयोग उपलब्ध कराता है।

चुनौतियाँ एवं आगे की राह

- सम्मेलन ने भविष्य के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की:
  - **क्षमता निर्माण:** विशिष्ट भू-आकृति तकनीकों में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु कुशल जनशक्ति और "युवा विद्वानों" की तत्काल आवश्यकता।
  - **सार्वभौमिक डेटा:** स्वतंत्र गुरुत्वाकर्षण मॉडल और संदर्भ फ्रेम बनाए रखना आवश्यक है ताकि भारत रक्षा या अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विदेशी निर्देशांकों पर निर्भर न रहे।
  - **GeoAI का एकीकरण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर विशाल भू-आकृति डेटासेट को वास्तविक समय अनुप्रयोगों हेतु संसाधित करना।

स्रोत: PIB

समुद्री नाविकों का परित्याग(Seafarer Abandonment)

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तथा रणनीतिक *हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य* के निकट जहाज़ों के फँसे रहने की स्थिति के बीच उद्योग से जुड़े हितधारक समुद्री नाविकों के परित्याग (Seafarer Abandonment) के बढ़ते जोखिम को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।

समुद्री नाविकों का परित्याग क्या है?

- समुद्री नाविकों का परित्याग उस स्थिति को कहा जाता है जब जहाज़ के स्वामी नाविकों को वेतन देने, आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराने या उन्हें स्वदेश वापस भेजने की व्यवस्था करने में विफल रहते हैं, जिसके कारण जहाज़ का चालक दल जहाज़ों पर या विदेशी बंदरगाहों में फँसा रह जाता है।
- **समुद्री श्रम अभिसमय 2006** के अनुसार, परित्याग की स्थिति तब मानी जाती है जब निम्नलिखित दायित्वों का पालन न किया जाए—
  - कम से कम दो महीनों तक वेतन का भुगतान न करना,
  - बुनियादी रखरखाव और आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध न कराना, या
  - चालक दल को स्वदेश वापसी (Repatriation) की व्यवस्था न करना।

- परित्याग के मामले प्रायः व्यस्त समुद्री केंद्रों जैसे **तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात** में अधिक देखे जाते हैं, विशेषकर **फारस की खाड़ी** क्षेत्र के आसपास।

परित्याग की स्थिति

- **अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक संघ (ITF)** के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 410 जहाज़ों पर कुल 6,223 समुद्री नाविकों को परित्यक्त छोड़ दिया गया।
- राष्ट्रीयता के आधार पर सबसे अधिक संख्या **भारत** की रही (1,125), इसके बाद **फिलीपींस, सीरिया, इंडोनेशिया और यूक्रेन** का स्थान रहा।
- भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री नाविकों की आपूर्ति करने वाले शीर्ष तीन देशों में शामिल है। समुद्री परिवहन वैश्विक व्यापार के आयतन का लगभग 90–95% वहन करता है, और विश्व भर में 18 लाख से अधिक समुद्री नाविक वाणिज्यिक जहाज़ों का संचालन करते हैं।

परित्याग के पीछे कारण

- **वित्तीय दबाव :** उच्च परिचालन लागत, अस्थिर मालभाड़ा दरें, ऋण, दिवालियापन अथवा भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण जहाज़ के स्वामी जहाज़ों को परित्यक्त छोड़ सकते हैं।
- **सुविधा के ध्वज (Flag of Convenience – FOC):** FOC प्रणाली जहाज़ों को ऐसे देशों में पंजीकरण की अनुमति देती है जहाँ नियम अपेक्षाकृत शिथिल तथा कर कम होते हैं, जिससे श्रम संरक्षण कमजोर हो जाता है।
  - वैश्विक वाणिज्यिक जहाज़ बेड़े का लगभग 30% FOC ध्वजों के अंतर्गत संचालित होता है।
  - वर्ष 2024 में परित्यक्त जहाज़ों में से लगभग 90% FOC के अंतर्गत पंजीकृत थे।
  - वर्ष 2025 में ध्वज-राज्यों में **पनामा** में परित्याग के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए।

प्रभाव

- परित्यक्त नाविकों को प्रायः वेतन की हानि और भारी भर्ती ऋण का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भोजन, ईंधन और पेयजल की कमी तथा वीज़ा या बंदरगाह प्रतिबंधों के कारण जहाज़ से उतरने में असमर्थता जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- संघर्ष के कारण *हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य* के निकट समुद्री परिवहन बाधित हुआ है, जिसके माध्यम से विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा गुजरता है।
- **भारत** अपनी कच्चे तेल की लगभग 90% आवश्यकता आयात करता है, जिसमें से 46–55% **पश्चिम एशिया** से प्राप्त होता है।
  - तेल की कीमतों में 10 डॉलर की वृद्धि भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को लगभग 0.36 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकती है।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

खार्ग द्वीप

संदर्भ

- हाल ही में अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के *खार्ग द्वीप* पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

खार्ग द्वीप के बारे में

- खार्ग द्वीप को प्रायः "ऑर्फ़न पर्ल" कहा जाता है।
- यह ईरान के *ख़ुज़ेस्तान प्रांत* के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर, फारस की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा द्वीप है।
- आकार में छोटा होने के बावजूद यह ईरान का सबसे महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात टर्मिनल है और विश्व के सबसे सामरिक ऊर्जा अवरोध बिंदुओं (energy chokepoints) में से एक है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए निर्धारित लगभग सभी ईरानी कच्चे तेल को यहाँ लोड किया जाता है और फिर *हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य* से होकर वैश्विक नौवहन मार्गों में भेजा जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- ईरान *पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC)* का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 4.5% हिस्सा रखता है।
- देश प्रतिदिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल और अतिरिक्त 1.3 मिलियन बैरल कंडेन्सेट एवं अन्य तरल हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करता है।

स्रोत: IE

मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदें

संदर्भ

मेघालय में *गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC)* का चुनाव पश्चिम गारो हिल्स ज़िले में जारी हिंसा और अशांति के कारण स्थगित कर दिया गया है।

परिचय

- संविधान का *छठा अनुसूची* (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करता है।
- मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) विशेष स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ हैं, जिन्हें जनजातीय समुदायों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया है।
- इन परिषदों को विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- **उद्देश्य:**
  - जनजातीय भूमि और परंपराओं की रक्षा करना।
  - स्वदेशी समुदायों को स्वशासन प्रदान करना।
  - बाहरी समूहों द्वारा शोषण को रोकना।

मेघालय की स्वायत्त जिला परिषदें

- **खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (KHADC):** शिलांग स्थित, खासी हिल्स ज़िलों को कवर करती है।
- **गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC):** तुरा स्थित, गारो हिल्स क्षेत्र के पाँच ज़िलों को कवर करती है।
- **जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (JHADC):** जोवाई स्थित, जैंतिया हिल्स ज़िलों को कवर करती है।

संरचना

- प्रत्येक परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें *जिला परिषद सदस्य (MDCs)* कहा जाता है।
  - इनमें से 29 सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 1 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष (राज्य विधानसभाओं के समान), जब तक कि परिषद पहले भंग न कर दी जाए।

स्रोत: TH

स्वामिह (SWAMIH)

संदर्भ

- *सस्ती और मध्यम-आय आवास निवेश कोष हेतु विशेष विंडो (SWAMIH)* भारत के आवास क्षेत्र के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में उभरी है।

परिचय

- 2019 में प्रारंभ किया गया, SWAMIH उन आवासीय परियोजनाओं को अंतिम चरण का वित्तपोषण प्रदान करता है जो वित्तीय बाधाओं के कारण प्रभावित हुई हैं।
- यह कोष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और *SBICAP वेंचर्स लिमिटेड.* (स्टेट बैंक समूह की कंपनी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

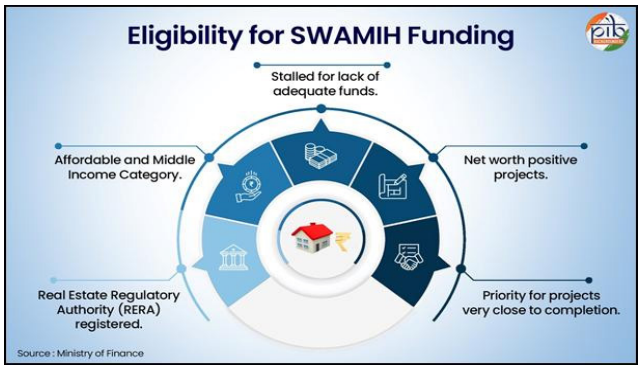

- **प्रभाव और परिणाम:** अब तक SWAMIH के अंतर्गत 58,596 घर पूरे किए जा चुके हैं, और 1 लाख से अधिक घर पूरे होने की संभावना है, जिससे 2.38 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
  - परियोजनाओं के पुनर्जीवन से 30,000+ नौकरियाँ उत्पन्न हुईं और निर्माण सामग्री की उल्लेखनीय माँग बढ़ी।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

समाचार में

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य* को अवैध रेत खनन से बचाने के लिए स्वतः संज्ञान लिया है, जो घड़ियाल के आवास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में

- यह चंबल नदी के एक बड़े भाग में स्थित है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- यह भारत का प्रथम और एकमात्र त्रि-राज्यीय नदी तटीय संरक्षित क्षेत्र है।
- यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का प्रमुख आवास है।
- घड़ियालों के अतिरिक्त, अभयारण्य में दलदली मगरमच्छ (Muggers), कई प्रजातियों के स्वच्छ जल के कछुए (जिनमें संकटग्रस्त रेड *क्राउन रूफ टर्टल* भी शामिल है), स्मूथकोटेड ऊदबिलाव, गंगेटिक नदी डॉल्फ़िन, इंडियन स्किमर, ब्लैक-बेलीड टर्न, सारस क्रेन और ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क्स जैसी समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है।

स्रोत: TH

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: वैश्विक साझेदारी की शक्ति का प्रतिबिंब

समाचार में

- हाल ही में सरकार ने सौर ऊर्जा के पीछे बढ़ते वैश्विक उत्साह और *अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)* की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में भूमिका को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने में तीव्रता लाना और स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण को समर्थन देना है।
- इसे भारत और फ्रांस ने *COP21 पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015* के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से प्रारंभ किया।
- यह चार प्रमुख स्तंभों पर कार्य करता है:
  - सौर परियोजनाओं के लिए वित्त एकत्रित करना,
  - नवाचार और डिजिटल क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना,
  - क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी को सुदृढ़ करना,
  - प्रौद्योगिकी रोडमैप और नीतिगत ढाँचे विकसित करना।

प्रगति और उपलब्धियाँ

- यह 120 से अधिक सदस्य देशों का गठबंधन बन चुका है, जो विशेषकर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में ऊर्जा पहुँच और सतत विकास हेतु सौर ऊर्जा विस्तार को प्रोत्साहित करता है।
- भारत की सौर क्षमता लगभग 136 GW तक पहुँच चुकी है, जिसे *पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना* और *पीएम-कुसुम* जैसी पहलों ने समर्थन दिया है।

स्रोत: PIB

KC-135 स्ट्रैटो टैंकर

संदर्भ

- एक *KC-135 स्ट्रैटो टैंकर* ईंधन भरने वाला विमान पश्चिमी इराक में चल रहे सैन्य अभियान *ऑपरेशन एपिक फ्यूरी* (ईरान के विरुद्ध कोड नाम मिशन) के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के बारे में

- KC-135 स्ट्रैटो टैंकर बोइंग द्वारा 1950 और शुरुआती 1960 के दशक में निर्मित किया गया था।

- यह अमेरिकी सेना के वायु ईंधन भरने वाले बेड़े की रीढ़ रहा है और विमानों को बिना उतरे मिशन पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- इनका व्यापक उपयोग प्रथम खाड़ी युद्ध में किया गया, जहाँ इन्होंने लड़ाकू विमानों और बमवर्षकों की सीमा बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसकी गति 30,000 फीट (9,144 मीटर) की ऊँचाई पर 530 मील प्रति घंटा है।

स्रोत: TH

वैश्विक महामारी समझौता

समाचार में

- भारत आगामी जिनेवा में होने वाली महामारी समझौता वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत लाभ-साझाकरण ढाँचे की मांग कर रहा है।

वैश्विक महामारी समझौता

- इसे मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया।
- इसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक अंतराल एवं असमानताओं को दूर करने हेतु एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करना है।
- इसका *पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (PABS)* तंत्र वर्तमान में वार्ता के अधीन है, जिसके अंतर्गत जैविक नमूनों और आनुवंशिक डेटा के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान को विनियमित किया जाएगा।
- इसे मई 2026 तक अपनाए जाने की संभावना है। इसके बाद यह देशों के हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए खुला होगा तथा 60 अनुमोदनों के 30 दिन बाद लागू हो जाएगा।

स्रोत : TH

वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु केंद्र द्वारा ₹57,381 करोड़ राशि पृथक निर्धारित

संदर्भ

- केंद्र ने एक *आर्थिक स्थिरीकरण कोष* (Economic Stabilisation Fund) के लिए ₹57,381 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु वित्तीय लचीलापन प्राप्त होगा।

परिचय

- इस कोष का कुल प्रावधान ₹1 लाख करोड़ है।
- इसमें ₹42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की *अतिरिक्त अनुदान* राशि जोड़ी जाएगी तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों की बचत से भी इसे बढ़ाया जाएगा।
- यह कोष भारत को हालिया वैश्विक संकट, अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्रों पर अचानक पड़ने वाले झटकों का सामना करने में सक्षम बनाएगा।

अतिरिक्त अनुदान की मांग

- **परिभाषा:** जब वार्षिक बजट में किसी उद्देश्य हेतु आवंटित राशि अपर्याप्त हो या वित्तीय वर्ष में अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो, तब सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि की मांग की जाती है।
  - यह भारतीय संविधान के *अनुच्छेद 115* के अंतर्गत शासित है और संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। आवश्यक निधि *भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)* से ली जाती है।
- **अनुदान के प्रकार:**
- **पूरक अनुदान :** वार्षिक बजट में स्वीकृत राशि से अधिक अतिरिक्त निधि हेतु।
- **अतिरिक्त अनुदान :** जब व्यय स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है।
- **टोकन अनुदान :** संसद की स्वीकृति हेतु ₹1 की प्रतीकात्मक राशि, जिससे विभिन्न खातों के अंतर्गत निधि का पुनः आवंटन किया जा सके।
- **आकस्मिक निधि से अग्रिम :** आकस्मिक एवं तात्कालिक व्यय हेतु, जिसे बाद में अतिरिक्त अनुदान द्वारा नियमित किया जाता है।

स्रोत : TH

■■■■